[illegible]

[illegible] आवारी.

[illegible]

5

[illegible]

[illegible] जावताबा [illegible],

[illegible] बनिपाइत [illegible]

[illegible] धुरंधर [illegible]

[illegible] फतेलाल [illegible] नायब [illegible]

[illegible] हाल [illegible] गोलापुर [illegible]

[illegible]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1439–एक/14 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-07-2014	आवेदक अधिवक्ता श्री पी0के0तिवारी, उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ नायब तहसीलदार मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2014 का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3– आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी के द्वारा प्रस्तुत सजरा के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत करने के संबंध में समय की मॉग की गई थी । जिसको पर्याप्त समय हो चुका है आवेदक के द्वारा आपत्ति तैयार कर ली गई होगी अतः इस प्रकरण का निराकरण इसी स्टेज पर किया जाता है कि विचारण न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में आगामी तिथि पर आवेदक अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें । **प्रशासकीय सदस्य**	